पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 42/2023

अनवान :

सुनिल कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी चौवारा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रतन पुत्र श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सुनील पुत्र श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. जयकोरी पुत्री श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील ादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नन्दुसिंह गौदारा की उपस्थिति में र्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री या जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 सं0 53/83 के सरा संख्या 128, 134, 152, 221, 295/127, 297/135, 312/175, 333/244 कुल सरा 8 की कुल 7.134 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के प्रत्येक के म 45/4756 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 45/2378 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। क्त वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है0 बहिस्सा ाबर भूमि कम की जाकर वादी सुनील कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट को 0.253 है0 मे का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के रान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया वे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.12.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:09:08 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

ग़रण सं0 : 42/2023

ानवान :

सुनिल कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी चौबारा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. रतन पुत्र श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सुनील पुत्र श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. जयकोरी पुत्री श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री श्रवण जाति सुनार निवासी चौबारा तहसील भादरा हाल निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री नन्दुसिंह गोदारा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 19.12.24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 53/83 के 0सं0 128, 134, 152, 221, 295/127, 297/135, 312/175, 333/244 कुल खसरा 8 । कुल 7.134 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के प्रत्येक के नाम /4756 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 45/2378 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति श्रवण पुत्र हजारी सुनार वासी चौबारा के नाम खातेदारी दर्ज थी जो श्रवण के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या ता 5 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति ने अपने नाम र्ज उक्त वादभूमि में से दिनांक 01.12.2001 को 20 हिस्सा अर्थात 0.253 है0 भूमि को वादी । कीमतन विक्रय कर विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। परन्तु आज क उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण वादी के पक्ष में नहीं हुआ। इसी दौरान श्रवण का हान्त हो गया तथा वादभूमि का विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज गया। इस प्रकार वादी द्वारा खरीदशुदा 0.253 है0 भूमि भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो ई। इस प्रकार वादी की खरीदशुदा 0.253 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने पर वादी के ातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब क्या गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी हमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तरफ से वकील हाजिर ाये व जवाब पेश करना नहीं चाहते। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। तिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः त्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में सुनील कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी चौबारा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम चौबारा खाता संख्या 53/83 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादभूमि पहले प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति श्रवण पुत्र हजारी सुनार निवासी चौबारा के नाम खातेदारी दर्ज थी जो श्रवण के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति ने अपने नाम दर्ज उक्त वादभूमि में से दिनांक 01.12.2001 को 20 हिस्सा अर्थात 0.253 है0 भूमि को वादी को कीमतन विक्रय कर विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। परन्तु आज तक उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण वादी के पक्ष में नहीं हुआ। इसी दौरान श्रवण का देहान्त हो गया तथा वादभूमि का विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार वादी द्वारा खरीदशुदा 0.253 है0 भूमि भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम चौबारा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है0 भूमि की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 सं0 53/83 के खसरा संख्या 128, 134, 152, 221, 295/127, 297/135, 312/175, 333/244 कुल खसरा 8 की कुल 7.134 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के प्रत्येक के नाम 45/4756 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 45/2378 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है0 भूमि बहिस्सा बराबर कम की जाकर वादी सुनील कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट को 0.253 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 सं0 53/83 के खसरा संख्या 128, 134, 152, 221, 295/127, 297/135, 312/175, 333/244 कुल खसरा 8 की कुल 7.134 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के प्रत्येक के नाम 45/4756 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 45/2378 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है0 बहिस्सा बराबर भूमि कम की जाकर वादी सुनील कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट को 0.253 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त [illegible]। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner